क्रम संख्या-97

संख्या 3195-अ/चालीस--रा. एकी.-77—6 (26)-77

प्रेषक,

श्री धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा,
आयुक्त एवं सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ, दिनांक 8 नवम्बर, 1977 ।

विषय—उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को राजकीय सेवाओं में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट देना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 2003/चालीस-रा0 एकी0-6 (11)-77, दिनांक 20 अगस्त, 1977 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये शासकीय सेवाओं में आरक्षण का प्राविधान किया गया है और शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 2705/चालीस-रा. एकी.-6 (11)-77, दिनांक 22 सितम्बर, 1977 तथा शासनादेश संख्या 3242/चालीस-रा. एकी.-77-6 (11)-77, दिनांक 24 अक्टूबर, 1977 के द्वारा इन आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में भी विशेष निर्देश जारी किए गये हैं । इस सम्बन्ध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनुरूप ही पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाय । तद्नुसार राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये राजकीय सेवाओं में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने के लिये आदेश प्रदान करते हैं ।

2--यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । इसका मतलब है कि यह लोक-सेवा आयोग अथवा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित उन सभी परीक्षाओं/चयनों पर लागू होगा जिनमें रिक्तियां अधिसूचित/विज्ञापित/प्रसारित की जा चुकी हैं, परन्तु आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित तिथि समाप्त नहीं हुई है । ऐसे मामलों में आवेदन-पत्रों को पुनः प्रस्तुत किये जाने की तिथि यथोचित अवधि तक बढ़ाई जाय, ताकि इस शासनादेश में निर्दिष्ट श्रेणी के शुभार्थियों को आवेदन-पत्र देने तथा निर्धारित आरक्षण एवं आयु सीमा से छूट का समुचित अवसर एवं लाभ प्राप्त हो जाये । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि जिन परीक्षाओं/चयनों से संबंधित

विज्ञप्ति/अधिसूचना/प्रसारण द्वारा आवेदन देने की अवधि बीत चुकी है, उन पर यह शासनादेश लागू नहीं होगा ।

3—मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि कृपया अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों को उपर्युक्त आदेशों से अवगत करायें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निर्देश दें ताकि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सके ।

भवदीय,
धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा,
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या 3195-अ (1)/चालीस-रा. एकी.-77-6 (26)-77, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :---

(1) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इन आदेशों का प्रसारण आकाशवाणी/दूरदर्शन तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से भी पर्याप्त रूप से करा दें ।

(2) निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

(3) समस्त हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(5) समस्त क्षेत्रीय तथा जिला स्तरीय चयन समितियों के अध्यक्षों तथा सचिवों को ।

(6) समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्री/उप मंत्री के निजी सचिवों को ।

(7) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(8) गोपन अनुभाग-1 ।

(9) सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।

(10) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।

(11) ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज विभाग ।

(12) कार्मिक अनुभाग--1/2 ।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा,
आयुक्त एवं सचिव ।

क्रम संख्या--98

उत्तर प्रदेश सरकार
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या 1727-अ/चालीस-15/108\74/रा. एकी.
लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 1977

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:---राजकीय अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ।